

सेवामें,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,

मेरठ।

श्रीमान जी,

सादर निवेदन है कि प्रार्थी व उसके भाई सचिन कुमार एक किता संपत्ति आबादी स्थित पक्का तालाब, हस्तिनापुर रोड मेरठ के वैध स्वामी है। यह संपत्ति हम भाइयों को अपने पिता की विरासत के तौर पर दो किता रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 5/4/1991 व 11/04/1991 के जरिए प्राप्त हुई है। हमारी उपरोक्त संपत्ति पर सुरेश कुमार, भगतसिंह, दिव्यांश, विशाल आदि ने करीब 2 महीने पहले अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। इसके बारे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लिखित सूचना देकर अवगत कराया गया था। इसी दौरान तहसील से संपत्ति के नाप के लिए गई एक टीम को विपक्षीगण ने मौके से दौड़ा दिया और उनके साथ अभद्रता भी की थी।

श्रीमान जी, उपरोक्त विपक्षीगण इलाके के स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री दिनेश खटीक के संपर्क में है और विपक्षीगण राज्यमंत्री के साथ मिलकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। श्रीमान जी, राज्यमंत्री के बेहद खास संतरपाल निवासी मवाना व उदयवीर उर्फ ददू निवासी दुर्वेशपुर व डॉ धर्मपाल निवासी मवाना इस मामले में विपक्षियों को राज्यमंत्री के पास तक ले गए। मूलतः यह एक सिंडिकेट है जो संपत्तियों से जुड़े विवादों में दखल देकर उन पर कब्जा जमाता है।

दिनांक 4 सितंबर 2023 को मैं जब मजदूरों के साथ अपनी उपरोक्त संपत्ति पर निर्माण कार्य के संबंध में पहुंचे तो विपक्षीगण ने हमारे ऊपर पथराव कर दिया। इस संबंध में थाना मवाना में लिखित तहरीर दी गई थी लेकिन राज्य मंत्री दिनेश खटीक के प्रभाव में केस दर्ज नहीं किया गया। 9 सितंबर 2023 को थाना दिवस में श्रीमान एसडीएम महोदय के सामने विपक्षी ने मेरे और मेरे साथियों के साथ मारपीट की। इस मामले में भी थाने में तहरीर दी गई थी लेकिन एक बार फिर से राज्यमंत्री दिनेश खटीक के प्रभाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया।

शनिवार की वारदात के बाद से लगातार दिनेश खटीक मुझे अपने पास बुला रहे थे। मुझे खबर मिली थी कि वहां राज्य मंत्री दिनेश खटीक मेरे विपक्षियों को इकट्ठा किए हुए हैं और मेरे साथ जान माल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मैं वहां नहीं गया। आज थोड़ी देर पहले राज्य मंत्री का फोन कॉल मेरे मोबाइल पर आया और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने का दबाव बनाया। मैंने साफ इनकार किया तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे मां, बहन की गालियां दी। साथ ही धमकी दी कि तुझे और तेरे परिवार को और तेरी सात पुश्तों को मैं खत्म कर दूंगा और तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा। श्रीमान जी, राज्य

मंत्री के गुस्से में गालियां देने के बाद मैंने अपने मोबाइल फोन का रिकॉर्डिंग स्विच ऑन कर दिया जिसके बाद की रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है। इस प्रार्थना पत्र के साथ में वह रिकॉर्डिंग संलग्न कर रहा हूं।

श्रीमान जी, राज्यमंत्री दिनेश खटीक इलाके के विधायक होने के अलावा सत्ता के करीबी हैं और अधिकारियों पर उनका प्रभाव भी रहता है। उनका पूर्व में इसी तरह का इतिहास भी रहा है। इसी तरह की एक पंचायत के मामले में उन्होंने मेरठ के वरिष्ठ वकील ओमकार तोमर को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। अधिवक्ता सुसाइड प्रकरण में राज्यमंत्री दिनेश खटीक के साथ वही लोग शामिल थे जिनके नाम मैंने इस प्रार्थना पत्र के पैरा-2 में सिंडिकेट के तौर पर अंकित किये हैं। उपरोक्त वकील ने आत्महत्या कर ली थी और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इस मामले में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है।

श्रीमान जी, मैं और मेरा परिवार इस धमकी के बाद से बेहद डरे हुए हैं और हमें राज्यमंत्री दिनेश खटीक और उनसे साथियों उपरोक्त से अपनी जान-माल का खतरा है। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे व मेरे परिवार को अगर जान-माल की हानि होती है तो उपरोक्त राज्यमंत्री दिनेश खटीक व उनके साथियों को ही जिम्मेदार माना जाये। हमने अपने पैतृक गांव और मवाना कस्बे के घर से पलायन कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपीगण के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।

दिनांक-13-09-2023

प्रार्थी

प्रदीप कुमार पुत्र श्री धीरज सिंह

निवासी ग्राम सीना थाना मवाना

जिला मेरठ

मोबाइल- 7983106556

अधिवक्ता पर हुए हमले में केस दर्ज करने के निर्देश

10/09/2023

मवाना, संवाददाता। कुछ दिन पहले अपने प्लॉट पर काम कराने के दौरान अधिवक्ता पर हुए हमले के मामले में शनिवार को एसडीएम मवाना के पास दोनों पक्ष पहुंचे। एसडीएम ने थाना प्रभारी मवाना को दूसरे पक्ष के खिलाफ

- समाधान दिवस में एसडीएम के सामने पहुंचे दोनों पक्ष
- प्लॉट पर काम करने से रोक दिया था दूसरे पक्ष के लोगों ने

कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। दूसरे पक्ष ने पुलिस के सामने ही अधिवक्ता को प्लॉट में नहीं घुसने की धमकी दी।

एक सप्ताह पूर्व नगर में पक्का तालाब के पास नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कामिल अपने पंजीकृत बैनामे के प्लॉट में काम करा रहे थे। प्लॉट से सटे मकान में मौजूद महिलाओं सहित दर्जनों ने लोगों ने अधिवक्ता व काम कर रहे मजदूरों पर पथराव कर मारपीट कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पक्ष के दो लोगों का शांतिभंग में चालान कर दिया था। अधिवक्ता अमित कामिल शनिवार को थाना समाधान दिवस में पहुंचे। उन्होंने एसडीएम मवाना अखिलेश यादव व इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के सामने सभी कागजात दिखाए। उधर, दूसरे पक्ष ने मौखिक दलील देते हुए अधिवक्ता के प्लॉट पर मालिकाना हक का कोई बैनामा प्रस्तुत नहीं किया। एसडीएम ने हमलावर पक्ष को समझाया कि जब उनके पास प्लॉट का कोई बैनामा या मालिकाना हक का कोई कागज ही नहीं है तो वे वैध मालिक को काम करने से कैसे रोक सकते हैं। इस पर हमलावर पक्ष ने अधिकारियों के सामने ही अधिवक्ता को प्लॉट में नहीं घुसने की धमकी दी। इसके बाद एसडीएम ने अधिवक्ता की ओर से हमले की दोनों रिपोर्ट दर्ज करने व पूरी संपत्ति को कुर्क करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए।

© 2023 All Rights Reserved. Powered by Summit

डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर मौजूद सामग्री का कॉपीराइट हिन्दुस्तान डिजिटल स्ट्रीम्स (HTDS) के पास है। अखबार के डिजिटल वर्जन [Read More](#)

एसडीएम ने प्लॉट के विवाद को सुन रिपोर्ट के आदेश दिए

संवाद न्यूज एजेंसी

मवाना। धाना समाधान दिवस में पक्का तालाब के पास प्लॉट के विवाद में दोनों पक्ष धाने पहुंचे। एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय का निर्णय होने तक प्लॉट कुर्क करने तथा मारपीट के मामले में एक पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश धाना प्रभारी को दिए।



धाना समाधान दिवस में समस्या सुनते एसडीएम। संवाद

अधिवक्ता अभित कामिल धाना समाधान दिवस में पहुंचे। अधिवक्ता ने एसडीएम अखिलेश यादव व धाना प्रभारी कुलदीप सिंह के समक्ष अपने प्लॉट का बैनामा व प्लॉट की खरीद-फरोख्त के बैनामों की पिछले पत्राजात प्रस्तुत किए।

उन्होंने सभी कागजात अधिकारियों को दिखाए और उन पर हुए हमले को लेकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। दूसरे पक्ष ने भी अपना पक्ष एसडीएम के समक्ष

रखा। एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमलावर पक्ष को समझाया कि जब उनके पास प्लॉट का कोई बैनामा या मालिकाना हक का कोई कागज ही नहीं है तो वे वैध मालिक को काम करने से कैसे रोक सकते हैं। एसडीएम ने अधिवक्ता की ओर से दी तहरीर में रिपोर्ट दर्ज करने तथा न्यायालय में चल रहे विवाद का निपटारा होने तक संपत्ति कुर्क करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए।

घरनऊ पहुंचने का किया आह्वान



कैली में कलश यात्रा के दौरान माटी एकत्र करते पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता • जागरण

पांच गांवों में कलश यात्रा निकालकर एकत्र की माटी
 खरखौदा : मेरी माटी-मेरा देश कार्यक्रम के तहत शनिवार को ब्लाक के पांच गांवों में कलश यात्रा निकालकर माटी एकत्र की। भाजपा मंडल महामंत्री जितेन्द्र त्यागी को कार्यक्रम का मंडल संयोजक मनाया गया है। उनके नेतृत्व में पांच गांव कैली, पांची, सेतकुआं, मुंडाली, और जिसोरी में कलश यात्रा निकाली गई। जितेन्द्र त्यागी ने बताया कि माटी के कलश दिल्ली और लखनऊ भेजे जाएंगे।-संसू

विवाद में एसडीएम के समक्ष रखा अपना-अपना पक्ष
 मवाना : लगभग एक सप्ताह पूर्व प्लाट पर काम करा रहे अधिवक्ता पर हमला व मजदूरों से मारपीट की थी। अधिवक्ता की और से थाने पर तहरीर दी गई थी। पुलिस ने आरोपित पक्ष से दो लोगों का शांतिभंग में चालान कर दिया था। अधिवक्ता अमित कामिल ने शनिवार समाधान दिवस पर एसडीएम अखिलेश यादव मिले और प्लाट संबंधी कागजात दिखाए व जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। उधर, दूसरे पक्ष ने भी एसडीएम के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन अभिलेख नहीं दिखा पाए। एसडीएम ने हमलावर पक्ष को हमलावर पक्ष ने एसडीएम के समक्ष ही अधिवक्ता को प्लाट में नहीं घुसने की धमकी दी। जिस पर एसडीएम ने थाना प्रभारी को अधिवक्ता पर हमले में दोनों रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।-जासं



प्लॉट में काम करा रहे अधिवक्ता पर हमला

महिलाओं ने किया पथराव और मारपीट, पीड़ित अधिवक्ता ने आरोपियों को खिलाफ दी तहरीर

अधिवक्ता ने 25 लाख की रंगदारी मांगने का लगाया आरोप

श्राद्ध दंडुम संवाददाता
 मवाना। नगर में चक्के लावाव के पास बैनार्स के प्लॉट में काम करा रहे अधिवक्ता पर महिलाओं सहित कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। महिलाओं ने पथराव किया व उनके पास मौजूद लोगों ने लाली रेतों से मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया। पुलिस ने हमला करने वाले दो लोगों का शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया। अधिवक्ता ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए 25 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।



के रिजल्ट पर लाली रेतों से चक्के पहुंचे और उनके व मजदूरों के साथ मारपीट की। आरोपियों ने मजदूरों के साथ खाति मारपीट करवाई कर हमला करते हुए मारपीट की। आरोप है कि आरोपी उनसे 25 लाख की रंगदारी मांग रहे थे और पैसा नहीं देने पर उन्होंने हमला बोल दिया। उधर, पक्ष को जानकारी मिलने पर पुलिस भी के प्लॉट में चक्के लावाव के पास महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की। पुलिस ने लाली रेतों से मारपीट के आरोपियों को चालान कर दिया।

कोर्ट से नहीं मिला स्टे

जब दोनों पक्ष थाने में पहुंचे तो वहां भी हमलावर पक्ष पुलिस के समक्ष कागजात पेश नहीं कर पाए। हमलावर पक्ष ने अपर सिविल जज जितेन्द्र त्यागी के पास जाकर कोर्ट के आदेश का पालन करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कोर्ट में स्टे के लिए अपर्याप्त आधार होने की बात कहते हुए कोर्ट स्टे का आदेश नहीं दिया। पुलिस ने हमलावर पक्ष से भविष्य में फिर किसी तरह का हमला या मारपीट नहीं करने की हितावाजी भी नहीं, अधिवक्ता की ओर से तहरीर देने के बाद दूसरे पक्ष ने भी अधिवक्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी। उधर, पुलिस के मुकदमा एक पक्ष के पास कोर्ट के केंद्र में आगामी केंद्र कागजात नहीं मिला, जबकि अधिवक्ता के पास विक्रता के बैनार्स की पूरी चैन मौजूद है।

पुलिस ने दो का किय शांतिभंग में चालान
 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग में चालान किया है। वहीं कोर्ट में दोनों को आरोप में चालान व मारपीट में चार्ज की हितावाजी पेश की गई है।



Dinesh Khateek Ji



Call



Video call



Send message

+918887150845

Did not connect

2023-09-13 02:09 PM

Incoming 4 m 34 s

2023-09-13 12:13 PM

- Recorded 1 m 28 s



